सवाल जवाब

‘शुल्कों में बढ़ोतरी से बढ़ेंगे दाम, मंदी की आशंका से इनकार नहीं’

योजना आयोग (अब नीति आयोग) के पूर्व उपाध्यक्ष और सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति केंद्र (सीएसईपी) से जुड़े मोंटेक सिंह आहलुवालिया का कहना है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत पर शुल्क कम रहने से अमेरिका के परिधान बाजार में उसे तत्काल कोई फायदा नहीं मिलेगा। इंदिवजल धस्माना को दिए साक्षात्कार में उन्होंने क्षेत्रीय समूहों, मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और विनिमय दरों के प्रभावों पर भी बात की। बातचीत के संपादित अंशः

अमेरिकी शुल्कों से क्या दुनिया वैश्वीकरण से पूर्व की स्थिति में नहीं पहुंच जाएगी?

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के शुल्क प्रस्तावों के बाद अमेरिका वहीं वापस पहुंच जाएगा जहां वह 1930 के स्मूट-हॉले अधिनियम के बाद था। उस समय दुनिया में व्यापार के मोर्चे पर उथल-पुथल मच गई थी, मंदी गहराने लगी थी और दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंक दी गई। ट्रंप के कदमों के बाद वैश्विक वित्तीय बाजार पहले ही हतप्रभ हैं मगर दूसरे देशों के जवाबी कदमों के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। चीन ने अमेरिका पर 34 फीसदी शुल्क लगा दिया है और यूरोपीय संघ (ईयू) ने भी जवाबी कदम उठाने की बात कही है। शुल्क बढ़ने से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कीमतें बढ़ जाएंगी और आर्थिक सुस्ती दिखनी शुरू हो जाएगी जिससे मंदी भी आ सकती है।

अमेरिकी शुल्कों के जवाब में दूसरे देश क्या कदम उठा सकते हैं?

चीन की तरह दूसरे बड़े देश भी जवाबी शुल्क लगाएंगे। ईयू भी ऐसा ही कदम उठाने पर विचार कर रहा है। यह स्थिति वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को बरबादी की राह पर ले जाएगी मगर इससे अमेरिका को भी यह सीख जरूर मिलेगी कि एकतरफा कदम उठाने की कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। शुल्कों से अमेरिकी निर्यात एवं उसके अन्य हित भी प्रभावित होंगे। मुझे लगता है कि बड़े देश अमेरिका की रुखसती के बावजूद व्यापार के बहुपक्षीय नियमों के महत्त्व को समझेंगे।

अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई देशों में चीन को लेकर चिंता है। इस चिंता से वे कैसे निपटेंगे?

राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सामान्य व्यापार नियमों से बाहर निकला जा सकता है और डब्ल्यूटीओ भी इसकी इजाजत देता है। अमेरिका में पिछली सरकार ने कुछ खास उच्च तकनीक खंडों में सुरक्षात्मक उपाय कर इस चिंता का समाधान करने की कोशिश की थी। जिन देशों को चीन से डर लग रहा है वे भी ऐसे उपाय कर सकते हैं। मगर अमेरिकी शुल्कों के साथ समस्या यह है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क को भी पार कर गए हैं। अमेरिका को लगता है कि उसके साथ दूसरे देश उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं मगर पड़ताल करने पर यह तर्क खोखला लगता है। उदाहरण के लिए वस्तुओं के व्यापार के मामले में अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष के लिए ईयू पर शुल्क लगाए गए हैं मगर इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया है कि सेवाओं के व्यापार में वे (ईयू) उतने ही व्यापार घाटे का सामना कर रहे हैं।

भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? हमें भी अमेरिकी की तरह संरक्षणवादी रुख अपनाना चाहिए? क्या हमें भी जवाबी शुल्क लगाना चाहिए?

मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी शुल्कों का जवाब शुल्कों से देने से कोई फायदा होगा। व्यापार में अमेरिका हमारा सबसे बड़ा साझेदार देश है मगर उनके लिए हम बहुत मायने नहीं रखते हैं। भारत अगर जवाबी शुल्क लगाएगा तो इससे अमेरिका को नुकसान नहीं होगा और न ही उसे रोका जा सकेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप द्विपक्षीय व्यापार वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए थे। ट्रंप ने यह भी कहा था कि उन्होंने मोदी को अमेरिका की इस चिंता से वाकिफ करा दिया है कि भारत काफी अधिक शुल्क लगाता है। ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि भारत शुल्कों में कमी करेगा। मुझे लगता है कि बातचीत को मौका जरूर मिलना चाहिए। मैंने काफी पहले कहा था भारत काफी अधिक शुल्क लगा रहा है और हमें अपने हितों के लिए उनमें कमी करनी चाहिए। कई दूसरे लोग भी इस सोच से सहमत हैं। वर्ष 2016 में प्रकाशित नीति आयोग के पहले तीन-वर्षीय सुधार कार्यक्रम में भी कहा गया था कि भारत को शुल्कों में कमी करनी चाहिए। अगर वैश्विक व्यापार विभिन्न व्यापारिक समूहों में बंट रहा है तो हमें उनमें अधिक से अधिक समूहों के साथ काम करना चाहिए। हमें ब्रिटेन और ईयू के साथ जितनी जल्दी हो एफटीए पर बातचीत पूरी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को जापान की अगुआई वाले सीपीटीपीपी का हिस्सा बनने पर भी विचार करना चाहिए।

भारत को अमेरिका के परिधान बाजार में बांग्लादेश, चीन और वियतनाम के मुकाबले कितना फायदा मिल सकता है?

यह सही है कि इन देशों की तुलना में भारत पर शुल्क कम लगाए गए हैं जिससे वह थोड़े फायदे की स्थिति में है। मगर हमें इसका कोई तत्काल लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिकी शुल्कों और उनके खिलाफ दूसरे देशों के जवाबी शुल्कों से अमेरिका में शुद्ध आयात मांग पर नकारात्मक असर होगा। यानी बेहतर स्थिति में होने के बाद भी हमें अधिक फायदा नहीं मिल सकता है।

अमेरिका के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) को लेकर भारत को क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए?

यह बात केवल अमेरिका के लिए ही बल्कि ब्रिटेन और ईयू के साथ एफटीए के मामले में भी महत्त्वपूर्ण है जहां हमें बीआईटी पर कुछ आश्वासनों की जरूरत होगी। विवाद निपटान के मामले में हमें दुनिया अच्छी नजरों से नहीं देखता है। हमारा यह तर्क कमजोर है कि भारत में समाधान पाने के सभी विकल्प गंवा देने के बाद ही कोई इकाई अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का विकल्प चुन सकती है।

शुल्क घटाने पर क्या विनिमय दर व्यापार नीति में अहम भूमिका निभाती हैं?

घरेलू उत्पादक शुल्कों में किसी तरह की कटौती पसंद नहीं करते हैं मगर सुरक्षात्मक शुल्कों में कमी से होने वाले किसी नुकसान की भरपाई विनिमय दर में कमी से पूरी की जा सकती है। इतना ही नहीं, विनिमय दर में कमी से भी निर्यातकों को सीधा लाभ मिलता है। अफसोस की बात है कि विनिमय दर नीति को पूरी दुनिया में संवेदनशील विषय माना जाता है और कोई भी सरकार अपनी इस नीति पर खुलकर बात नहीं करती है।

रामेश्वरम: प्रधानमंत्री ने किया पंबन समुद्री पुल का उद्‌घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि क्षेत्र के बीच रेल सुविधा प्रदान करने वाले पंबन समुद्री पुल का उद्‌घाटन किया और नई रामेश्वरम-तांबरम (चेन्नई) ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्‌घाटन और शिलान्यास भी किया।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का हमारा मत्स्य उद्योग से जुड़ा समाज बहुत मेहनती है। मोदी ने कहा कि मत्स्य उद्योग से जुड़ी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्य को जो भी मदद चाहिए, वो केंद्र सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच साल में ‘पीएम मत्स्य संपदा योजना’ के तहत भी, तमिलनाडु को करोड़ों रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा, सरकार की कोशिश यही है कि मछुआरों को ज्यादा सुविधाएं मिलें, चाहे सीवीड पार्क हो या फिर फिशिंग हार्बर और लेंडिंग सेंटर, केंद्र सरकार यहां सैकड़ों करोड़ रुपये का निवेश कर रही है।

तमिलनाडु में बुनियादी ढांचा विकास को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट सात गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, '2014 से पहले रेल परियोजनाओं के लिए हर साल सिर्फ 900 करोड़ रुपये ही मिलते थे और आपको पता है उस समय विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के मुख्य कर्ताधर्ता कौन थे? इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। केंद्र सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रही है। इसमें रामेश्वरम का स्टेशन भी शामिल है।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'बीते 10 सालों में हमने रेल, सड़क, हवाईअड्डे, बंदरगाह, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन जैसी बुनियादी परियोजनाओं का बजट करीब छह गुना बढ़ाया है।'

पंबन पुल इंजीनियरिंग का अद्‌भुत नमूना

सरकार के अनुसार, रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह पुल भारतीय इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय कारनामा है और इसे 700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। लगभग 2.08 किलोमीटर लंबे इस पुल में 99 ‘स्पैन’ और 72.5 मीटर लंबा ‘वर्टिकल लिफ्ट स्पैन’ है, जिसे 17 मीटर तक उठाया जा सकता है।

तमिलनाडु को 8,300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात

श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी ने की दो रेल परियोजनाओं की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को श्रीलंका के ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा में जय श्री महाबोधि मंदिर के दर्शन किए और भारत से सहायता प्राप्त दो रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत की। अनुराधापुरा की यात्रा के दौरान मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके भी थे। दोनों नेताओं ने 9.12 करोड़ अमेरिकी डॉलर की भारतीय सहायता से नवीनीकृत 128 किलोमीटर लंबी माहो-ओमानथाई रेलवे लाइन का उद्‌घाटन किया। इसके बाद माहो से अनुराधापुरा तक उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली के निर्माण की शुरुआत की गई। इस सिग्नलिंग प्रणाली का निर्माण 1.48 करोड़ अमेरिकी डॉलर की भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा भारत की ‘पड़ोसी पहले नीति’ में द्वीपीय देश की महत्त्वपूर्ण भूमिका को पुष्ट करती है। वार्ता के दौरान रक्षा, ऊर्जा तथा डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दिसानायके के कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा सदियों पुरानी मित्रता, समृद्ध भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है तथा भारत एवं श्रीलंका के बीच संबंधों को और मजबूत बनाती है।’

कार्यक्रम में नहीं आए मुख्यमंत्री स्टालिन

मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर विरोध जताते हुए इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। स्टालिन ने कहा कि उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री को पुल के उद्‌घाटन समारोह में भाग लेने में असमर्थता से अवगत करा दिया था, क्योंकि उनके पहले से ही आधिकारिक कार्यक्रम निर्धारित थे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा में शामिल होने के लिए मंत्रियों टी थेन्नारसु और राजा कन्नप्पन को भेजा है। **भाषा**

सीपीआईएम में नया दौर, एम ए बेबी के हाथ बागडोर

अर्चिस मोहन

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 71 वर्षीय मरियम एलेक्जेंडर बेबी को रविवार को अपना अगला महासचिव या पार्टी प्रमुख चुन लिया। तमिलनाडु के मदुरै में शीर्ष पद पर बेबी के चयन और सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था 18 सदस्यीय पोलित ब्यूरो के पुनर्गठन के साथ ही पार्टी में प्रकाश करात-सीताराम येचुरी का युग समाप्त हो गया। पोलित ब्यूरो में आठ नए सदस्य शामिल किए गए हैं।

बेबी की महासचिव पद पर नियुक्ति पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है। जनवरी 1992 में मद्रास (अब चेन्नई) में हुए इसके 14वें पार्टी कांग्रेस के बाद पार्टी संगठन में यह परिवर्तन देखने को मिला है। तीन दशक पहले हुए उस सीपीआई (एम) सम्मेलन में हरकिशन सिंह सुरजीत ने ईएमएस नंबूदरीपाद को पार्टी प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी सौंपी थी। उस समय प्रकाश करात और येचुरी दोनों को पहली बार पोलित ब्यूरो में शामिल किया गया था। ये दोनों नेता सुरजीत के 2005 में महासचिव के पद से सेवानिवृत्त होने तक उनके प्रमुख सिपहसालार बने रहे। इसके बाद इस पर प्रकाश लाए गए। मदुरै में रविवार को संपन्न हुई सीपीआई (एम) की 24वीं पार्टी कांग्रेस में प्रकाश, वृंदा करात, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार, लोक सभा की पूर्व सदस्य सुभाषिनी अली समेत अन्य सदस्य पोलित ब्यूरो से सेवानिवृत्त हो गए, क्योंकि वे सभी अब 75 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हैं। येचुरी का सितंबर 2024 में निधन हो गया था। प्रकाश ने 2005 से 2015 तक पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया, येचुरी ने 2015 से 2024 तक सीपीआई (एम) का नेतृत्व किया। येचुरी की मृत्यु के बाद प्रकाश ने अंतरिम पार्टी प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी को अंजाम दिया। पोलित ब्यूरो में शामिल होने वालों में किसान सभा के महासचिव विजू कृष्णन, मरियम धवाले और लोक सभा सदस्य अमरा राम शामिल हैं।

मरियम एलेक्जेंडर बेबी

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदरीपाद के बाद बेबी केरल से आने वाले दूसरे पार्टी प्रमुख हैं। यह पार्टी पर केरल राज्य इकाई के निरंतर प्रभाव को दर्शाता है। सुरजीत के बाद बेबी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्होंने सीपीआई से विभाजन के बाद 1964 में स्थापित होने के बाद सीपीआई (एम) का नेतृत्व किया है। एक सिख परिवार में जन्मे सुरजीत घोषित नास्तिक थे। बेबी ईसाई परिवार से ताल्लुक रखते हैं।

बेबी कोल्लम जिले के प्राक्कुलम के रहने वाले हैं। स्कूली पढ़ाई के दौरान ही वह केरल छात्र संघ में शामिल हो गए थे। यह संगठन सीपीआई (एम) की छात्र विंग, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) का पूर्ववर्ती नाम था। बाद के वर्षों में उन्होंने पार्टी के मलयालम मुखपत्र, देशाभिमानी का संपादन भी किया। वर्ष 1986 से 1998 तक वह दो बार राज्य सभा सांसद रहे। उन्होंने वीएस अच्युतानंदन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार (2006-11) में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया।

अपनी मूल विचारधारा से नहीं हटी : नड्डा

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में रविवार को कहा कि पार्टी कभी भी अपनी मूल विचारधारा से नहीं हटी है, जबकि कांग्रेस वर्षों से अपनी ‘वैचारिक कमजोरी’ के कारण पतन का सामना कर रही है। पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में नड्डा ने भाजपा की सफलता का श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे पार्टी दिग्गजों को दिया। उन्होंने कहा, ‘आज, लोक सभा में भाजपा के 240, राज्यसभा में 98 से अधिक सदस्य हैं।’ **भाषा**

विदेशी फंडिंग पर शिकंजा

शिखा चतुर्वेदी

सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों की जांच तेज कर दी है। इसके कारण हाल के वर्षों में बड़ी तादाद में लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इससे सिविल सोसाइटी समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और नीतिगत संस्थानों के बीच काफी चिंता दिख रही है। उन्हें अब एफसीआरए की मंजूरी हासिल करने अथवा लाइसेंस के नवीनीकरण में तमाम नियामकीय चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है।

गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करने से नियामकीय दृष्टिकोण में बदलाव का पता चलता है। साल 2019-20 में एफसीआरए नवीनीकरण की स्वीकृति दर महज 41.2 फीसदी थी जबकि अस्वीकृति दर 53.3 फीसदी थी। मगर साल 2020-21 में यह रुझान बदल गया और स्वीकृति दर बढ़कर 76.3 फीसदी हो गई जबकि अस्वीकृति दर घटकर 22.4 फीसदी रह गई।

साल 2021-22 के आंकड़े अधूरे हैं क्योंकि अस्वीकृति के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया गया है। अगले वर्ष यानी 2022-23 में स्वीकृति दर बढ़कर 97.9 फीसदी हो गई जबकि अस्वीकृति दर महज 2.1 फीसदी रही जो अब तक का सबसे कमजोर आंकड़ा है। मगर 2023-24 में एक जबरदस्त बदलाव दिखा जहां स्वीकृति दर घटकर 75.8 फीसदी रह गई जबकि अस्वीकृति दर बढ़कर 24.2 फीसदी हो गई। इससे प्रॉसेस किए गए आवेदनों की तादाद अधिक होने के बावजूद नियामक की मजबूत पकड़ का पता चलता है।

ई–नीलामी के 12वें दौर के लिए सार्वजनिक सूचना हेतु अनुशेष – पुंज लॉयड लिमिटेड (परिसमापन में)

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अनुसार कंपनी की चालू व्यवसाय के आधार पर और वैकल्पिक रूप से कंपनी की विभिन्न सम्पत्तियों की बिक्री

ई–नीलामी के 12वें दौर के लिए ई–नीलामी नोटिस के संबंध में नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी दिनांक 18 मार्च 2025 के सार्वजनिक नोटिस के संदर्भ में, निम्नलिखित परिसंपत्ति सेटों के लिए ईएमडी राशि जमा करने की तिथि और ई–नीलामी आयोजित करने की तिथि सहित समयसीमा को दिनांक 18 मार्च 2025 के परिसंपत्ति बिक्री प्रक्रिया ज्ञापन के खंड 4.9 के अनुसार निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

सम्पत्ति का सेट	सम्पत्ति का विवरण	बिक्री का तरीका	ई–नीलामी की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमडी राशि (रु. में) और जमा करने की अंतिम तिथि
श्रेणी ए					
सम्पत्ति सेट 1	समग्र रूप में पुंज लॉयड लिमिटेड की बिक्री ('एएसपीएम' में प्रदान की गई कुछ संपत्तियों को छोड़कर)	गोइंग कंसर्न आधार पर	21 अप्रैल 2025 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	341.92 करोड़	10.00 करोड़ 17 अप्रैल 2025 तक या उससे पहले
श्रेणी सी*					
सम्पत्ति सेट 2	पुंज लॉयड लिमिटेड की आर्बिट्रेशन परिसंपत्तियों की बिक्री	सामूहिक आधार पर	21 अप्रैल 2025 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	175.90 करोड़	10.00 करोड़ 18 अप्रैल 2025 तक या उससे पहले
श्रेणी डी*					
सम्पत्ति सेट 3	मालनपुर, मध्य प्रदेश में लीजहोल्ड भूमि, भवन और प्लांट एवं मशीनरी की बिक्री	सामूहिक आधार पर	21 अप्रैल 2025 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	70.50 करोड़	7.05 करोड़ 18 अप्रैल 2025 तक या उससे पहले
सम्पत्ति सेट 4	सिंधुदुर्ग जिला, महाराष्ट्र में भूमि की बिक्री	स्टैण्डअलोन आधार पर	21 अप्रैल 2025 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	11.30 करोड़	1.13 करोड़ 18 अप्रैल 2025 तक या उससे पहले
सम्पत्ति सेट 5	मेहसाणा, गुजरात में भूमि की बिक्री	स्टैण्डअलोन आधार पर	21 अप्रैल 2025 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	89 लाख	8.90 लाख 18 अप्रैल 2025 तक या उससे पहले
सम्पत्ति सेट 6	ओडिशा में डीएपीएल स्थल पर संयंत्र एवं मशीनरी और इन्वेंट्री की बिक्री	सामूहिक आधार पर	21 अप्रैल 2025 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	29 लाख	2.90 लाख 18 अप्रैल 2025 तक या उससे पहले
सम्पत्ति सेट 7	छत्तीसगढ़ में आरएसआरपी साइट पर संयंत्र और मशीनरी की बिक्री	सामूहिक आधार पर	21 अप्रैल 2025 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	26.50 करोड़	2.65 लाख 18 अप्रैल 2025 तक या उससे पहले

ई–नीलामी नोटिस और परिसंपत्ति बिक्री प्रक्रिया ज्ञापन दिनांक 18 मार्च 2025 की अन्य सभी शर्तें समान रहेंगी।
दिनांक 18 मार्च 2025 की परिसंपत्ति बिक्री प्रक्रिया ज्ञापन का अनुशेष कंपनी की वेबसाइट **http://www.punjlloydgroup.com/liquidation-documents** और ई–नीलामी वेबसाइट **https://ncltauction.auctiontiger.net.** पर भी अपलोड किया गया है।
*यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि श्रेणी ए के तहत परिसंपत्ति सेट 1 के लिए उच्चतम बोलीदाता घोषित किया जाता है, अर्थात कंपनी की बिक्री एक गोइंग कंसर्न के आधार पर की जाती है, तो परिसमापक श्रेणी सी और डी के अंतर्गत सभी परिसंपत्ति सेटों की ई–नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, परिसमापक ई–नीलामी के 12वें दौर के तहत बेची जा रही किसी भी या सभी श्रेणियों और/या परिसंपत्तियों के सेट की ई–नीलामी रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
इसके अलावा, संशोधित आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित श्रेणी(यों) और/या परिसंपत्ति(ओं) के सेट के लिए सभी इच्छुक बोलीदाताओं को एक हलफनामा प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वे आईबीसी की धारा 29ए के तहत किसी भी तरह की अयोग्यता से ग्रस्त नहीं हैं और यदि किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाते हैं, तो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई किसी भी राशि के साथ जमा धरोहर राशि परिसमापक द्वारा जब्त कर ली जाएगी। 29ए पात्रता हलफनामे का प्रारूप एएसपीएम में दिया गया है।
इसमें निहित कोई भी बात कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बाध्यकारी प्रस्ताव या प्रतिबद्धता का गठन नहीं करेगी, जिसमें समग्र रूप से गोईंग कर्सन के रूप में कंपनी की बिक्री भी शामिल है।
यदि किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया श्री अश्विनी मेहरा से **LQ.PUNJ@in.gt.com** या **Mehra.ashwini@gmail.com** या श्री सुरेन्द्र राज गंग से **Surendra.raj@in.gt.com** पर संपर्क करें। (जीटी रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी, आईपीई के प्रतिनिधि जिन्हें परिसमापक के पेशेवर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है)

हस्ता/–
अश्विनी मेहरा
परिसमापक
(पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00388/2017-18/10706)
पुंज लॉयड लिमिटेड – परिसमापन में
असाइनमेंट के लिए प्राधिकार –30 जून 2025 तक वैधता
पत्राचार पता:
श्री अश्विनी मेहरा, परिसमापक
पुंज लॉयड लिमिटेड
सी/ओ श्री सुरेंद्र राज गंग
जीटी रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी एल–41, कनॉट सर्कस नई दिल्ली – 110001,
ई: LQ.Punj@in.gt.com
आईबीबीआई के साथ लिक्विडेटर का पंजीकृत पता:
सी 1201, सलारपुरिया मैग्निफिसिया, ओल्ड मद्रास रोड. बैंगलोर 560016
ई: **Mehra.Ashwini@gmail.com**

दिनांक : 07 अप्रैल 2025
स्थान : नई दिल्ली

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
प्रधान कार्यालय
संव्यवहार निगरानी एवं केवाईसी / एएमएल विभाग
खुली निविदा (ओपन टेंडर) हेतु सूचना
बैंक ऑफ़ इंडिया अपने फील्ड पदाधिकारियों के लिए फीडबैक कवायद के लिए खुली निविदा आमंत्रित करता है। इस प्रयोजन हेतु आरएफपी बैंक की वेबसाइट पर दि. 07.04.2025 से अपलोड की गई है, तथा बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30.04.2025, शाम 4.00 बजे तक है। अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक ऑफ़ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट www.bankofindia.co.in के BOI>Important Links>Tender देखें।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
दीप मैमोरियल पब्लिक स्कूल, ब्लॉक ए, रामप्रस्थ गाजियाबाद
Email: ubin0905348@unionbankofindia.bank

(नियम 8(1)) कब्जा सूचना (अचल सपंत्ति के लिए)

चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण विनिर्मिण व प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (अधिनियम नं. 2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रामप्रस्थ गाजियाबाद शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधिकारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित **रु. 11,95,631.48 (रुपए ग्यारह लाख पिचानवे हजार छह सौ इकतीस और पैसे अड़तालीस केवल)** राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी व गिरवीकर्ता **श्री राकेश अंटिल** और **श्रीमती पूजा कुंदू** को बुलाने के लिए मांग सूचना दिनांक **30.12.2024** जारी की थी।
ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा ऋणी व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **04 अप्रैल,2025** को कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को संपत्ति के साथ व्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया व्यवहार उसपर ब्याज और **रु. 11,95,631.48** की राशि के लिए **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** के प्रभार का विषय होगा।
ऋणियों का ध्यान प्रतिभूतित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

अचल संपत्ति का विवरण

श्री राकेश अंटिल पुत्र श्री नफे सिंह और श्रीमती पूजा कुंदू पत्नी श्री राकेश अंटिल के नाम पर आवासीय संपत्ति के सभी भाग आवासीय फ्लैट (छत अधिकारों के सहित) नं. 1528, 14वीं मंजिल, टॉवर–डी, 5वीं एवेन्यू, जीएच–01, सेक्टर 4, गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा उ.प्र. पिन 201301
सीमाएँ उत्तर–पूर्व में – फ्लैट नं. 1529, दक्षिण–पश्चिम : टॉवर ई
उत्तर–पश्चिम ग्राउंड फ्लोर में खुला क्षेत्र
दक्षिण–पूर्व : कॉमन पैसेज, स्टेयर्स व फ्लैट नं. 1527

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक : 04.04.2025
स्थान : गाजियाबाद

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
एनआईटी फरीदाबाद शाखा
पता: 5ई/3बीपी नीलम रेलवे रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, पिनकोड: 121001
संपर्क नं.: 91–8356804792 ईमेल: ubin0904791@unionbankofindia.bank

अनुलग्नक– I [नियम–8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, 5ई/3बीपी नीलम रेलवे रोड, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा, पिनकोड: 121001 के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम नं. 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग नोटिस दिनांकित 08.01.2025 जारी किया था जिसमें **कर्जदार मेसर्स एवीए एक्सपोर्ट्स कंपनी** अपनी प्रॉपराईटर श्रीमती मीना पत्नी अनिल कुमार, डीई25, वार्ड नं. 5, अलीगढ़ रोड, निकट अंबेडकर पार्क, नई बस्ती, सालागढ़, पलवल, हरियाणा, पिनकोड: 121102 और **जमानतियों अर्थात (1) श्री सुनील कुमार,** निवासी 13–जे, गली नं. 7 अशोक विहार फेज–III, गुरूग्राम, हरियाणा–122001 और **(2) श्री सुरेन्दर कुमार,** निवासी मकान नं. बी–119, निकट अंबेडकर पार्क, नई बस्ती, सालागढ़, पलवल, हरियाणा–121102 से सूचना में उल्लिखित दिनांक 04.01.2025 को राशि **रु. 23,30,496/–** (रुपये तेईस लाख तीस हजार चार सौ छियानवे मात्र) और इस पर ब्याज को उक्त नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा।
कर्जदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का **04 अप्रैल, 2025** को कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्व साधारण को संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति का कोई भी लेन–देन दिनांक 04.01.2025 को राशि **रु. 23,30,496/–** (रुपये तेईस लाख तीस हजार चार सौ छियानवे मात्र) और इस पर ब्याज के लिए **यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया** के प्रभार के अधीन होगा।
प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय के संबंध में मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री उदय सिंह निवासी 13–जे, गली नं. 7 अशोक विहार फेज–III, गुरूग्राम, हरियाणा–122001 और श्री सुरेन्दर कुमार पुत्र श्री उदय सिंह निवासी मकान नं. बी–119, निकट अंबेडकर पार्क, नई बस्ती, सालागढ़, पलवल, हरियाणा–121102 द्वारा स्वामित्व और कब्जे में निकट अंबेडकर पार्क, नई बस्ती, सालागढ़, म्यूनिसीपल काउंसिल पलवल की सीमा में, तहसील पलवल, जिला पलवल (हरियाणा) स्थित मकान नं. बी–119, माप 190 वर्ग गज जो खसरा नं. 142/22(8–0) का भाग, के समस्त भाग व खंड।
उत्तर: 16' चौड़ा रोड, दक्षिण: पुन्नी जी का मकान
पूर्व: शास्त्री जी का मकान, पश्चिम: विक्रम सिंह का मकान

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक: 04.04.2025
स्थान: फरीदाबाद